न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 23/2016 (2016/00055)

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पचांयत लोरड़ी पण्डितजी, पंचायत समिति मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजूराम पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार, ग्राम लोरण्डी पण्डितजी, तहसील व जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बविरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 148 दिनांक 20.11.2004 मिसल नम्बर 347 जो ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण बोहरा (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री मोहनराम पटेल (अप्रार्थी संख्या 2)।

–आदेश – दिनांक : 28.03.2023

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर की तरफ से अप्रार्थी के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के पत्र क्रमांक 1033 दिनांक 22.04.2013 की पालना में पेश की है। संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने आबादी भूमि विक्रय विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध कर जरिये पट्टा विलेख नम्बर 148 दिनांक 20.11.2004 जो मिसल संख्या 347 में कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत पेश हुई।

यह पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां पेश हुई। पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:36 IST
Reason: SelfAttested

किये गये। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा सुनवाई हेतु इस न्यायालय को मुंतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनराम पटेल ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 13.11.2019 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 22.03.2023 को सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र पेश कर बतलाया कि ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी ने वर्ष 2004 में भूखण्डों के पट्टे आबादी भूमि में जारी किये जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया जो नियम विरूद्ध जारी करने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में आगे बतलाया कि पट्टा बुक नियमानुसार ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार संबंधित पंचायत समिति के द्वारा जारी की जाती है परन्तु इस आलौच्य पट्टा से संबंधित पट्टा रजिस्टर ग्राम पंचायत ने सीधे बाजार से खरीदकर पट्टा विलेख जारी किये गये जो विधि मान्य नहीं हो सकता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर ऐसी भूमि का नक्शा संलग्न कर आवेदन किया गया परन्तु फीस जमा कराने की रसीद का अंकन नहीं है। पुनरीक्षण में आगे यह भी बतलाया कि नियम 148 में आपत्तियां आमत्रिंत करना, नियम 149 के तहत प्राप्त आपत्तियों का निपटारा एवं नियम 150 में पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का संकल्प लेकर नियम 152 में विद्यमान बाजार कीमत से शुरू निलामी की कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत आबादी भूमि के विकास के लिए भूमि का पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी द्वारा अनुमोदन कराकर विकास योजना के अनुसार नीलामी व आंवटन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है जो ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई। धारा 97, राज. पंचायतीराज अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में परिसीमा बाधित नहीं है तथा आलौच्य पट्टा नियमों एवं विधि विरूद्ध जारी करने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस बाबत् वक्त जांच के दौरान अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई। इस कारण प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 परिसीमा विधि से वर्जित होने के आधार पर पोषणीय नहीं है क्योंकि धारा 137 परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार जहां सीमा के बारे में कोई प्रावधान नहीं हो वहां 3 वर्ष का प्रावधान लागू होता आया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत निगरानी 10 वर्ष के बाद प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत् कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया।

अप्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आबादी भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर पंचायत राज अधिनियम के सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना करने के पश्चात् ही विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। इसी आबादी भूमि के आगे राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय जोधपुर को खोले जाने की अवस्था में उक्त आबादी भूमि में से होकर आगे विश्वविद्यालय जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का प्रार्थी पर दबाव होने के कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से उक्त निगरानी निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 को वर्ष 2004 में पट्टा जारी किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ/139(19) आरडी एण्ड जे/95/3273 दिनांक 26.10.2006 के अनुसार पट्टे निरस्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में पुराने कब्जे के आधार पर जारी पट्टे को प्रार्थी निरस्त करवाने का हकदार नही है। प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर, जिला जोधपुर द्वारा ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी के अन्य पट्टाधारकों को जारी पट्टा विलेख दिनांक 20.11.2004 की पंचायत निगरानियाँ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर में पेश की गई। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा पंचायत निगरानियाँ स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी द्वारा अप्रार्थीगण को जारी पट्टा विलेख को निरस्त किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा रिट याचिका के माध्यम से जिला कलक्टर के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेशों को अपास्त किया गया तथा ग्राम पंचायत लोरण्ड़ी पण्डितजी द्वारा जारी पट्टा विलेखों को बहाल रखा गया। बहस के समर्थन में रिट याचिका नम्बर 13105/2017 नेनाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पेश की।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत निगरानी का अध्ययन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत लोरडी पण्डितजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 राजूराम को पट्टा संख्या 148 दिनांक 20.11.2004 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत लोरडी पण्डितजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये गए। उनकी निगरानी प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर, जिला जोधपुर द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर में पेश की गई। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा पंचायत निगरानियाँ स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी द्वारा जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण द्वारा रिट याचिका के माध्यम से जिला कलक्टर के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेशों को अपास्त किया गया तथा ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डितजी द्वारा जारी पट्टा विलेखों को बहाल रखा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि –

" The first and foremost circumstance, which convinces the court that the revisional authority acted totally in an unjust manner while entertaining the challenge to the subject pattas is that the revisions came to be instituted after nearly 9 to 10 years after the date of issuance of the pattas in question and that too at the instance of the Vikas Adhikari concerned. No reason or cause was set up in the pleadings of the revisions as to why the pattas issued to the petitioners, who belong to the weaker sections of the society were being challenged after a gross delay of 9 years. The administration being the revisionist did not set up a case that it was not aware of these pattas for all these years. Though it is true that the concept of delay does not apply in strict sense to the revisional jurisdiction conferred upon the District Collector by virtue of Section 97 of the Panchayati Raj Act, but while entertaining a revision filed after significant delay, the court has to remain mindful of the reasons behind the delay. If there is no justification whatsoever for the delay, then the revision should normally should not be entertained. Furthermore, Hon'ble Full Bench of this court in the case of Tara (supra) considered the very issue of delay and held that a period of three years should normally be sufficient to be treated to be the outer limit for entertaining a challenge to a patta or any such allotment. Furthermore, on perusal of the impugned order, this court is duly satisfied that no significant shortcoming, illegality or irregularity in the procedure was pointed out by the revisionist Vikas Adhikari while filing the questioned revisions. Considering the fact that the

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:36 IST
Reason: SelfAttested

petitioners all belong to the weaker sections of the society, this court is of the firm opinion that the revisional authority was not at all satisfied while entertaining purely disputed questions of facts for setting aside the pattas of land issued to the petitioners way back in the year 2004. On a careful evaluation on facts as well as on law, the impugned orders do not stand to scrutiny, thus, the same are liable to be and are hereby struck down."

उपरोक्त विवेचना करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया गया, को अपास्त कर दिया। उपरोक्त न्यायिक निर्णय प्रकरण में ग्राह्य योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

आदेश दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:36 IST
Reason: SelfAttested